

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/41/2022

रजि0 नं0 2022/84

प्रवेश तिथि 13.09.2022

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री भगवान सहाय पुत्र प्यारेलाल निवासी वार्ड  
न0 - 19, पाराशर मौहल्ला लक्ष्मणगढ जिला  
अलवर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड  
अधिकारी लक्ष्मणगढ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 20.10.2022

1-अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।

2-अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3-अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से जरिये नोटिस क्रमांक 798 दिनांक 13.09.2022 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.09.2022 को उपस्थित आवें।

4-अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 870 दिनांक 23.09.2022 जारी किया गया। जिसके फलस्वरूप जयें पत्राक 2025-26 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर अपीलार्थी को सूचित किया है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

5-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर अपीलार्थी को सूचित किया है। अपील अपीलांत खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमिल दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सततम सिंह शेखावत)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम)  
अलवर, (राज0)